मध्यप्रदेश शासन
**सामान्य प्रशासन विभाग**
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एम-19-125/1995/एक/4 भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 1996

प्रति,

शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कायपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत
समस्त जिलाधिकारी,
मध्यप्रदेश.

**विषय** .—पंचायत स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों में अधिकारियों का उपस्थित रहना.
**सन्दर्भ** .—सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र क्रमांक एम-19-125/95/एक/4 ,दिनांक 13 सितम्बर 1995

उपरोक्त विषय में इस विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 13 सितम्बर 1995 के द्वारा (प्रतिलिपि संलग्न) जिले में पदस्थ विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों एवं उनके अधीन गठित विभिन्न समितियों की बैठकों में अनिवार्य रूप से भाग लेने तथा बैठकों में लिये गए निर्णयों का शासन के निर्देशानुसार सजगता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये थे.

शासन को शिकायत मिली है कि कहीं-कहीं इन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है. अत: सभी संबंधितों को शासन के उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी जाती है. इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी दंड के भागीदार होंगे.

हस्ता./-
(शरदचन्द्र बेहार)
मुख्यसचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

क्रमांक एम-19-125/1995/एक/4 भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 1996
प्रतिलिपि :—
1. माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(सीमा शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल—462004

क्रमांक एम-19-125/1995/एक/4 भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 1995

प्रति,

शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

**विषय** .—पंचायत स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों में उपस्थित रहने संबंधी.

राज्य शासन सत्ता विकेन्द्रीकरण की नीति के तहत स्थापित नई त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को सत्ता का वास्तविक केन्द्र बनाने के लिये संकल्पित है. इसी आधार पर जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों को व्यापक अधिकार दिये जाकर अधिकार सम्पन्न एवं प्रभावी बनाया गया है.

2. शासन के ध्यान में लाया गया है कि जिलों में विभिन्न स्तरों पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी जिला/ जनपद पंचायत तथा उनके अधीन गठित विभिन्न समितियों की बैठकों में उपस्थिति नहीं होते और न ही उनके निर्णयों पर सजगता से कार्यवाही की जाती है. यह स्थिति दुखद है.

3. शासन चाहता है कि इस प्रकार की बैठकों में संबंधित जिला अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक रूप से उपस्थित रहना चाहिए. वे नियमित रूप से बैठकों में भाग लें तथा बैठकों में लिये गये निर्णयों का शासन के निर्देशानुसार सजगता के साथ पालन सुनिश्चित करें.

हस्ता./-
**(एन. एस. सेठी)**
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

क्रमांक एम-19-125/1995/एक/4 भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर, 1995

प्रतिलिपि :—

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
2. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
3. महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल,
4. माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल,
6. संचालक, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
**(सीमा शर्मा)**
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.